

राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क-2/19

जयपुर, दिनांक: 24 FEB 2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय:—सीधी भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं महिला आरक्षण रोस्टर के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ: 7(2)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 29.03.2019 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट WWW.DOP.Rajasthan.Gov.IN पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर 100 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए 100 बिन्दु रोस्टर (100 point roster) तथा 8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए 8 बिन्दु रोस्टर (8 point roster) निर्धारित किये जाने के साथ-साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणियों यथा महिला/भूपू, सैनिक/खिलाड़ियों/अराजपत्रित कर्मचारी के लिए भी रोस्टर बिन्दु निर्दिष्ट किये गये हैं।

कतिपय विभागों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि 8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती के आरक्षण मॉडल रोस्टर में सीधी भर्ती के ऐसे पद जिनकी संवर्ग संख्या 10 या 10 पदों से कम हैं, में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) तथा जहां संवर्ग की संख्या 20 या 20 पदों से कम हैं, में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को आरक्षण प्रतिनिधित्व (reservation representation) सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

अतः उक्त स्थिति के आलोक में पूर्वोक्त परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के उपाबन्ध-आ-क में उल्लेखित 8 पदों (8 point roster) तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के मॉडल रोस्टर को 20 पदों (20 point roster) के मॉडल रोस्टर से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नवीनतम मॉडल रोस्टर सुलभ संदर्भार्थ 'उपाबन्ध-आ-क' के रूप में परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इसी क्रम में उक्त परिपत्र में यथानिर्धारित महिला आरक्षण रोस्टर के संबंध में स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 के द्वारा विविध सेवा नियमों में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत प्रावधित किया गया है, जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में आरक्षण होगा।

उपर्युक्त परिपत्र में महिलाओं के लिए प्रावधित रोस्टर बिन्दु नियत अभ्यांश के अनुरूप निर्दिष्ट करते समय रोस्टर बिन्दुओं की पहचान महिला, विधवा व परित्यक्ता के लिए पृथक-पृथक किये जाने से महिलाओं के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं को संचालित किये जाने में विभागों द्वारा कठिनाई महसूस की जा रही है।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आरक्षण को सुसंचालित करने के लिए, जब से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था, तब कि स्थिति को देखते हुए प्रवर्गवार (category wise) पृथक-पृथक रोस्टर संधारित किये जायेंगे। सभी श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक रोस्टर आवश्यक हैं क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण प्रवर्गानुसार है। रोस्टर उन सभी व्यक्तियों का चल लेखा (Running Account) बनाए रखेगा जो सेवा में सम्मिलित होते हैं। अतः रोस्टर पंजिका संधारित होने पर किसी संवर्ग में किसी समय विशेष पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति एक ही स्थान पर सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध होना संभव होगा। इस हेतु मॉडल रोस्टर पंजिका का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।


उदाहरणार्थ यदि अधीनस्थ लेखा संवर्ग में 66 रिक्तियां हैं। जिसमें यदि अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) दोनों ही श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियां 12-12 हैं। यदि कोई उक्त 12 रिक्तियों में से महिलाओं हेतु प्रावधित 30 प्रतिशत आरक्षण की गणना करता है, तो वह 3.6 प्राप्त करेगा, इससे यह असंमजस होगा कि रिक्तियां 3 माने या 4, हालांकि, महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण करने के लिए यह सही तरीका नहीं है। किसी श्रेणी विशेष में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों का पता लगाने के लिए, उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए की गई नियुक्तियों की इतिवृत्त (History) को देखना होगा, जैसा कि निर्धारित रोस्टर में संधारित किया गया हो। जैसे पिछड़ा वर्ग (BC) श्रेणी के मामले में, यदि जब से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था, तब से यदि कुल 11 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति दी गई है, तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित बिन्दुओं की संख्या ज्ञात करने हेतु उक्त वर्ग की 12 रिक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु 12 से 23 देखे जाने चाहिए जिससे ज्ञात होगा कि रोस्टर बिन्दु क्रमशः 14, 17 और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उक्त 12 पदों में से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार, यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के मामले में, जबसे महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया था, तब से यदि 9 अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति दी गई है तो फिर, इस वर्ग की 12 रिक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु 9 से आगे अर्थात् 10 से 21 तक के रोस्टर बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए। तदनुसार चार रोस्टर बिन्दु यथा 10 (विधवा-1), 14, 17 और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के मामले में 12 अनुसूचित जाति के पदों में से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।



उपर्युक्तानुसार महिलाओं के रोस्टर बिन्दुओं में संशोधन के प्रयोजनार्थ परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के उपाबन्ध-11 को भी प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार नवीनतम मॉडल रोस्टर 'उपाबन्ध-11' के रूप में परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों/संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।


राज्यपाल की आज्ञा से


(रोली सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


(जय सिंह)

उप शासन सचिव

17/2020

20 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर :

संवर्ग संख्या	प्रारम्भिक भर्ती	प्रतिस्थापन संख्या																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	UR	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC
2	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC	
3	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC		
4	UR	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC			
5	BC	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC				
6	UR	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC					
7	SC	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC						
8	UR	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC							
9	ST	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC								
10	BC	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC									
11	EWS	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC										
12	UR	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC											
13	SC	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC												
14	UR	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC													
15	BC	UR	ST	UR	SC	BC	MBC														
16	UR	ST	UR	SC	BC	MBC															
17	ST	UR	SC	BC	MBC																
18	UR	SC	BC	MBC																	
19	SC	BC	MBC																		
20	BC	MBC																			

टिप्पण: 1. 2 से 20 पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर स्तंभ 'संवर्ग संख्या' के अधीन प्रविष्टि 1 से अन्तिम पद तक पढा जाना है और फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात् 'L' की तरह अन्तिम प्रविष्टि तक क्षैतिज रूप में।

2. संवर्ग के समस्त पद स्तंभ 'प्रारम्भिक भर्ती' के अधीन दर्शाये गये प्रवर्गों के लिए चिह्नित किए जाने हैं जबकि प्रारम्भिक रूप में शून्य, चिह्नित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे। साथ ही संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में होगा जैसा कि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षैतिज रूप से दर्शाया गया है।

टिप्पण: चिह्नित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है, निम्नवत है :-

1	UR	Unreserved (अनारक्षित)
2	SC	Scheduled Castes (अनुसूचित जाति)
3	ST	Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)
4	BC	Backward Classes (पिछड़ा वर्ग)
5	MBC	More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
6	EWS	Economically Weaker Sections (आर्थिक कमजोर वर्ग)

महिला आरक्षण के लिए रोस्टर पंजिका

1. पदनाम :
2. संवर्ग में पदों की संख्या :
3. वर्ग : अ.जा. (SC) या अ.ज.जा. (ST) या पि.व. (BC) या अति.पि.व (MBC) या आ.क.व. (EWS) या अनारक्षित (UR)

रोस्टर संख्या	महिला	रोस्टर संख्या	महिला	रोस्टर संख्या	महिला
1.		35.		69.	
2.		36.		70.	W-15
3.		37.	W-8	71.	
4.	W-1	38.		72.	
5.		39.		73.	
6.		40.	W-9	74.	Widow-6
7.	W-2	41.		75.	
8.		42.		76.	
9.		43.		77.	W-16
10.	Widow-1	44.	Widow-4	78.	
11.		45.		79.	
12.		46.		80.	W-17
13.		47.	W-10	81.	
14.	W-3	48.		82.	
15.		49.		83.	
16.		50.	Divorcee-1	84.	Widow-7
17.	W-4	51.		85.	
18.		52.		86.	
19.		53.		87.	W-18
20.	W-5	54.	W-11	88.	
21.		55.		89.	
22.		56.		90.	W-19
23.		57.	W-12	91.	
24.	Widow-2	58.		92.	
25.		59.		93.	
26.		60.	Widow-5	94.	Widow-8
27.	W-6	61.		95.	
28.		62.		96.	
29.		63.		97.	W-20
30.	W-7	64.	W-13	98.	
31.		65.		99.	
32.		66.		100.	Divorcee-2
33.		67.	W-14		
34.	Widow-3	68.			

टिप्पण :

1. अ.जा. (SC), अ.ज.जा. (ST), पि.व. (BC), अति.पि.व (MBC), आ.क.व. (EWS) और अनारक्षित (UR) श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 6 अलग-अलग रोस्टर पंजिकाएं संघारित की जाएंगी।
2. किसी भी भर्ती में चयनित महिला उम्मीदवारों को महिलाओं के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के विरुद्ध दर्शाया जायेगा।

राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग/महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/खिलाड़ियों/अराजपत्रित कर्मचारी को सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का मॉडल रोस्टर

क्रम संख्या	अनुसूचित जाति 16%	अनुसूचित जनजाति 12%	पिछड़ा वर्ग 21%	अति पिछड़ा वर्ग 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग 10%	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किए जाने चाहिए	महिला वर्ग (महिला-30%, के एक तिहाई, विधवा एवं परित्यक्ता को 8:2 के अनुपात में)	भूतपूर्व सैनिक			खिलाड़ियों हेतु 2%	अराजपत्रित कर्मचारी 7%
								राज्य सेवा 5%	अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12½%	चतुर्थ श्रेणी सेवा 15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0.16	0.12	0.21	0.05	0.1	UR-1						
2	0.32	0.24	0.42	0.1	0.2	UR-2						
3	0.48	0.36	0.63	0.15	0.3	UR-3						
4	0.64	0.48	0.84	0.2	0.4	UR-4	W-1					
5	0.8	0.6	1.05	0.25	0.5	BC-1						
6	0.96	0.72	1.26	0.3	0.6	UR-5						
7	1.12	0.84	1.47	0.35	0.7	SC-1	W-2			Ex-serv.-1		
8	1.28	0.96	1.68	0.4	0.8	UR-6			Ex-serv.-1			
9	1.44	1.08	1.89	0.45	0.9	ST-1						
10	1.6	1.2	2.1	0.5	1	BC-2	Widow-1					
11	1.76	1.32	2.31	0.55	1.1	EWS-1						
12	1.92	1.44	2.52	0.6	1.2	UR-7						
13	2.08	1.56	2.73	0.65	1.3	SC-2						
14	2.24	1.68	2.94	0.7	1.4	UR-8	W-3			Ex-serv.-2		
15	2.4	1.8	3.15	0.75	1.5	BC-3						NGE-1
16	2.56	1.92	3.36	0.8	1.6	UR-9			Ex-serv.-2			
17	2.72	2.04	3.57	0.85	1.7	ST-2	W-4					
18	2.88	2.16	3.78	0.9	1.8	UR-10						
19	3.04	2.28	3.99	0.95	1.9	SC-3						
20	3.2	2.4	4.2	1	2	BC-4	W-5	Ex-serv.-1		Ex-serv.-3		
21	3.36	2.52	4.41	1.05	2.1	MBC-1						

22	3.52	2.64	4.62	1.1	2.2	EWS-2						
23	3.68	2.76	4.83	1.15	2.3	UR-11						
24	3.84	2.88	5.04	1.2	2.4	BC-5	Widow-2		Ex-serv. 3			
25	4	3	5.25	1.25	2.5	ST-3						
26	4.16	3.12	5.46	1.3	2.6	SC-4						
27	4.32	3.24	5.67	1.35	2.7	UR-12	W-6			Ex-serv.-4		
28	4.48	3.36	5.88	1.4	2.8	UR-13						
29	4.64	3.48	6.09	1.45	2.9	BC-6						NGE-2
30	4.8	3.6	6.3	1.5	3	EWS-3	W-7					
31	4.96	3.72	6.51	1.55	3.1	UR-14						
32	5.12	3.84	6.72	1.6	3.2	SC-5			Ex-serv. 4			
33	5.28	3.96	6.93	1.65	3.3	UR-15						
34	5.44	4.08	7.14	1.7	3.4	BC-7	Widow-3			Ex-serv.-5		
35	5.6	4.2	7.35	1.75	3.5	ST-4						
36	5.76	4.32	7.56	1.8	3.6	UR-16						
37	5.92	4.44	7.77	1.85	3.7	UR-17	W-8					
38	6.08	4.56	7.98	1.9	3.8	SC-6						
39	6.24	4.68	8.19	1.95	3.9	BC-8						
40	6.4	4.8	8.4	2	4	MBC-2	W-9	Ex-serv.-2	Ex-serv.-5	Ex-serv.-6		
41	6.56	4.92	8.61	2.05	4.1	EWS-4						
42	6.72	5.04	8.82	2.1	4.2	ST-5						
43	6.88	5.16	9.03	2.15	4.3	BC-9						NGE-3
44	7.04	5.28	9.24	2.2	4.4	UR-18	Widow-4					
45	7.2	5.4	9.45	2.25	4.5	SC-7						
46	7.36	5.52	9.66	2.3	4.6	UR-19						
47	7.52	5.64	9.87	2.35	4.7	UR-20	W-10			Ex-serv.-7		
48	7.68	5.76	10.08	2.4	4.8	BC-10			Ex-serv.-6			
49	7.84	5.88	10.29	2.45	4.9	UR-21						
50	8	6	10.5	2.5	5	ST-6	Divorcee-1				Sports Per.-1	
51	8.16	6.12	10.71	2.55	5.1	EWS-5						
52	8.32	6.24	10.92	2.6	5.2	SC-8						
53	8.48	6.36	11.13	2.65	5.3	BC-11						

54	8.64	6.48	11.34	2.7	5.4	UR-22	W-11			Ex-serv.-8		
55	8.8	6.6	11.55	2.75	5.5	UR-23						
56	8.96	6.72	11.76	2.8	5.6	UR-24			Ex-serv.-7			
57	9.12	6.84	11.97	2.85	5.7	SC-9	W-12					
58	9.28	6.96	12.18	2.9	5.8	BC-12						NGE-4
59	9.44	7.08	12.39	2.95	5.9	ST-7						
60	9.6	7.2	12.6	3	6	EWS-6	Widow-5	Ex-serv.-3		Ex-serv.-9		
61	9.76	7.32	12.81	3.05	6.1	MBC-3						
62	9.92	7.44	13.02	3.1	6.2	BC-13						
63	10.08	7.56	13.23	3.15	6.3	SC-10						
64	10.24	7.68	13.44	3.2	6.4	UR-25	W-13		Ex-serv.-8			
65	10.4	7.8	13.65	3.25	6.5	UR-26						
66	10.56	7.92	13.86	3.3	6.6	UR-27						
67	10.72	8.04	14.07	3.35	6.7	BC-14	W-14			Ex-serv.-10		
68	10.88	8.16	14.28	3.4	6.8	ST-8						
69	11.04	8.28	14.49	3.45	6.9	SC-11						
70	11.2	8.4	14.7	3.5	7	EWS-7	W-15					
71	11.36	8.52	14.91	3.55	7.1	UR-28						
72	11.52	8.64	15.12	3.6	7.2	BC-15			Ex-serv.-9			NGE-5
73	11.68	8.76	15.33	3.65	7.3	UR-29						
74	11.84	8.88	15.54	3.7	7.4	UR-30	widow-6			Ex-serv.-11		
75	12	9	15.75	3.75	7.5	ST-9						
76	12.16	9.12	15.96	3.8	7.6	SC-12						
77	12.32	9.24	16.17	3.85	7.7	BC-16	W-16					
78	12.48	9.36	16.38	3.9	7.8	UR-31						
79	12.64	9.48	16.59	3.95	7.9	EWS-8						
80	12.8	9.6	16.8	4	8	MBC-4	W-17	Ex-serv.-4	Ex-serv.-10	Ex-serv.-12		
81	12.96	9.72	17.01	4.05	8.1	BC-17						
82	13.12	9.84	17.22	4.1	8.2	SC-13						
83	13.28	9.96	17.43	4.15	8.3	UR-32						
84	13.44	10.08	17.64	4.2	8.4	ST-10	Widow-7					
85	13.6	10.2	17.85	4.25	8.5	UR-33						

85	13.76	10.32	18.06	4.3	8.6	BC-18							NGE-6
87	13.92	10.44	18.27	4.35	8.7	UR-34	W-18				Ex-serv.-13		
88	14.08	10.56	18.48	4.4	8.8	SC-14				Ex-serv.-11			
89	14.24	10.68	18.69	4.45	8.9	UR-35							
90	14.4	10.8	18.9	4.5	9	EWS-9	W-19						
91	14.56	10.92	19.11	4.55	9.1	BC-19							
92	14.72	11.04	19.32	4.6	9.2	ST-11							
93	14.88	11.16	19.53	4.65	9.3	UR-36					Ex-serv.-14		
94	15.04	11.28	19.74	4.7	9.4	SC-15	Widow-8				Ex-serv.-14		
95	15.2	11.4	19.95	4.75	9.5	BC-20							
96	15.36	11.52	20.16	4.8	9.6	MBC-5				Ex-serv.-12			
97	15.52	11.64	20.37	4.85	9.7	ST-12	W-20						
98	15.68	11.76	20.58	4.9	9.8	EWS-10							
99	15.84	11.88	20.79	4.95	9.9	SC-16							
100	16	12	21	5	10	BC-21	Divorcee-2	Ex-serv.-5		Ex-serv.-15	Sports Per.-2	NGE-7	

नोट- इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षैतिज आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनुजाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति. पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या क्षैतिज प्रवर्ग विशेष के लिये पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिये तय किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं.-20 अति पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित है इसी बिन्दु पर महिला एवं भूतपूर्व सैनिक भी आते हैं जो क्षैतिज हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक को 20वां बिन्दु दिया जावे और वह भूतपूर्व सैनिक भी हो। अतः तात्पर्य यह है कि 20 पदों में 04 महिलाओं के पद बनते हैं और राज्य सेवा में एक और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3 पद भूतपूर्व सैनिक के बनते हैं। ये चार महिलाएँ किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य/अजा/अजजा/पि.व./अति पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा।